पंजीकरण सं. RTU – 12/2014

राजस्थान मजदूर किसान यूनियन

RMKU

राज्य कमेटी राजस्थान

प्रदेश कार्यालय – C-9, रोड नं. 6, बापू नगर, सेंती, चित्तौड़गढ़ – (राज.)

रमेश श्रीमाली
अध्यक्ष
मो. 094609 69359

प्रभातकुमार सिन्हा
महासचिव
मो. 098296 33060

क्रमांक-47

दिनांक : 10-9-2016

श्रीमान जुएल ओरम
माननीय केबिनेट मन्त्री
जनजातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001.

विषय : राजस्थान में "अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की पहचान) अधिनियम, 2006" {वन अधिकार अधिनियम, 2006} की प्रशासन द्वारा अनुपालना न किये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 की अनुपालना शासन एवं प्रशासन द्वारा विधिसम्मत रूप में नहीं की जा रही है। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान में सामुदायिक वन अधिकार हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्र[1] में से अब तक मात्र 0.86 प्रतिशत वन क्षेत्र ही वन अधिकार के अन्तर्गत मान्य हुआ है[2]; वहीं 17 ज़िलों में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार {धारा 3(1)(i) एवं धारा 5} के अन्तर्गत किसी भी दावे को मान्यता नहीं मिली है।

हम इस सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:–

अ. दावों का बड़ी संख्या में निरस्तीकरण

- जुलाई, 2016 तक राजस्थान राज्य में कुल 71200 वन अधिकार (व्यक्तिगत एवं सामुदायिक) दावे प्रस्तुत किये गये, जिनमें से 33884 दावे (47.59 प्रतिशत) निरस्त कर दिए गए। इन दावों के निरस्त होने की सूचना अधिकांश दावेदारों को नहीं दी गई है; यहाँ तक कि पुनरावलोकन या आवश्यक पूर्ति हेतु वापस भेजे जाने वाले दावों के साथ लिखित सूचना भी नहीं दी जाती है।

[1] 'Potential for Recognition of Comunity Forest Resource Rights Under India's Forest Rights Act', A Preliminary Assessment. Report by Rights and Resource Initiative, Vasundhara and Natural Resources Management Consultants, July 2015.
[2] जनजातीय मन्त्रालय, भारत सरकार के द्वारा वन अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में जारी मासिक प्रगति रिपोर्ट, जून, 2016

ब. राज्य सरकार द्वारा भ्रामक प्रगति रिपोर्ट देना

- राज्य सरकार द्वारा जनजातीय मन्त्रालय, भारत सरकार को राज्य में वन अधिकार कानून की क्रियान्विति की जो रिपोर्ट भेजी जाती है, वह भ्रामक है। रिपोर्ट में कुल प्रस्तुत दावों के साथ, कुल निर्णित दावों का आंकड़ा बताया जाता है। अर्थात् जून 2016 तक कुल प्रस्तुत दावों (71200) में से लगभग 98 प्रतिशत (69737) दावों का निस्तारण बताया गया है, जबकि लगभग 48 प्रतिशत दावे तो निरस्त किए गए हैं, जिनके बारे में अधिकतर दावेदारों को कोई कारण लिखित में नहीं बताए गए हैं; यदि कुछ दावों के सन्दर्भ में कारण बताए भी गए हैं तो वे भ्रामक हैं और अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं।
- राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय मन्त्रालय, भारत सरकार को वन अधिकार अधिनियम की क्रियान्विति की जो सूचना भिजवाई जाती है, वह ज़िला स्तर के आंकड़ों से मेल नहीं खाती है। इसी प्रकार, ज़िला स्तर के आंकड़े उपखण्ड स्तर के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। अर्थात् उपखण्ड स्तर से आंकड़ों में प्रशासनिक हेराफेरी शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक होती चली जाती है।

स. सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार का कोई भी दावा स्वीकृत नहीं होना

- राज्य में वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1) के तहत् सामुदायिक वन अधिकार का एक भी दावा आज तक स्वीकृत नहीं हुआ है। राज्य में सामुदायिक वन अधिकार के 50 से ज़्यादा दावे पिछले 4 वर्षों से लम्बित पड़े हैं। क्या वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दावों को लम्बित/अनिर्णित स्थिति में असीमित समय तक रखा जा सकता है?
- जनजातीय मन्त्रालय के द्वारा जून 2016 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य में कुल प्रस्तुत किए गए सामुदायिक वन अधिकार के दावों में से धारा 3(2) के अन्तर्गत केवल 10 प्रतिशत दावे स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 79 प्रतिशत दावे निरस्त किए गए हैं {इनमें से अधिकतर दावे धारा 3(2) के अन्तर्गत पेश किए गए थे और कुछ ही दावे धारा(1) के अन्तर्गत थे}।
- वन अधिकार अधिनियम के संशोधन नियम, 2012 के नियम 12(ख)(4) के अन्तर्गत जनजातीय मन्त्रालय के द्वारा 23 अप्रैल, 2015 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी दिशा–निर्देशों (पत्र क्रमांक 23011/16/2015–एफ.आर.ए.) के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 2(vi) के द्वारा यह निर्देशित है कि किसी ग्राम में वन सम्पदा अधिकारों {धारा 3(1)(i) एवं धारा 5} को मान्यता न दिए जाने की दशा में उसके कारणों को ज़िला स्तरीय समिति के सचिव द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। किन्तु, राजस्थान में सामुदायिक वन अधिकारों {धारा 3(1)} के अब तक लगे दावों में ज़िला स्तर पर कहीं भी इसकी अनुपालना नहीं की गई है।

द. सरकार द्वारा जनजातीय विभाग की बजाए वन विभाग को निर्णायक की भूमिका देना

- वन अधिकार के दावों के प्रकरण में सरकार एवं प्रशासन वन विभाग को सर्वोपरि रखते हुए कार्य कर रहे हैं। मन्त्रालय ने अनसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की

मान्यता) नियम, 2007 के अन्तर्गत उपबन्ध 1 से 3 के तहत् वन अधिकार अधिनियम में दावा प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप जारी किए थे। तत्पश्चात् अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012 के अन्तर्गत उपबन्ध 1 में अन्तःस्थापित प्रारूप 'ग' एवं उपबन्ध–4 का प्रारूप भी जोड़ा गया। यह प्रारूप पूरे देश का सन्दर्भ लेकर जारी किए गए थे, जिनके अनुसार तैयार दावा जमा किया जा सकता है। किन्तु, राजस्थान में राज्य सरकार के निर्देश पर वन विभाग द्वारा विशेष दावा प्रारूप 'कुलक' बनाया गया और दावेदारों को इसी 'कुलक' की प्रतिलिपि में दावा सूचना भरकर जमा करने के लिए बाध्य किया गया। इस 'कुलक' की प्रतिलिपियाँ भी अपर्याप्त संख्या में जारी की गईं ताकि लगने वाले दावों की संख्या पर रोक लग सके। वन अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी लगातार एक अन्य भ्रामक प्रचार कर रहे हैं– उनके अनुसार वन अधिकार अधिनियम की क्रियान्विति की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा अब और दवे लगाना एवं स्वीकार करना सम्भव नहीं है। ऐसा भ्रामक प्रचार करने में ग्राम सभा सतर पर ग्राम सचिव भी पीछे नहीं हैं, जो ग्राम सभा स्तर पर वन अधिकार समिति को सहयोग एवं अपना कर्त्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ग्राम सचिवों के इस कृत्य में ग्राम सभा स्तर से ही दावों के निस्तारण की प्रक्रिया में राज्य सरकार की शिथिल एवं विलम्ब करने की भावना प्रकट होती है।

- ग्राम सभा स्तर पर दावों के सत्यापन की प्रक्रिया में भू–राजस्व अधिकारी (पटवारी) एवं वन विभाग के प्रतिनिधि प्रस्तुत नहीं होते हैं। जबकि वन अधिकार अधिनियम के संशोधन नियम, 2012 के नियम 12क(2) के अनुसार– "यदि वन और राजस्व विभाग के पटवारी क्षेत्र सत्यापन, दावों के सत्यापन और साक्ष्यों के सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहते हैं एवं पश्चातवर्ती किसी नियम तारीख़ को पुनः सत्यापन हेतु उपसिति रहने में असफल रहते हैं तो क्षेत्र सत्यापन पर ग्राम सभा का विनिश्चय अन्तिम माना जायेगा"। ऐसी स्थिति अधिकाँश दावों में रहती है जबकि उपखण्ड स्तर एवं ज़िला स्तर पर वन विभाग की टिप्पणियों के आधार पर, तथ्यों को जाने बग़ैर ही, दावा फाईल अपूर्ण बताते हुए और बिना लिखित कारण बताए हुए पुनः ग्राम सभा को पुनः भेज दी जाती है। इस प्रकार, उपखण्ड एवं ज़िला स्तर पर वन विभाग की टिप्पणी को ही सर्वोपरि माना जाता है।

य. वन विभाग द्वारा क्राँतिक वन्य जीव/व्याघ्र आवास सहित संरक्षित वन क्षेत्रों में वन अधिकार पर विरोधाभास

- वन विभाग की टिप्पणियों में, विशेष रूप से, सामुदायिक दावों के सन्दर्भ में भ्रामक टिप्पणियाँ की जाती हैं। वन अधिकार अधिनियम के नियम, 2007 के नियम–13 (वन अधिकारों की अवधारणा के लिए साक्ष्य) के अन्तर्गत वन अधिकारों को मान्यता देने और निहित करने के लिए उपयोगी साक्ष्यों का विवरण दिया गया है, साथ ही वन अधिकार अधिनियम के संशोधन नियम, 2012 के नियम 12क (अधिकारों की मान्यत की प्रक्रिया) के उपनियम 12क(11) के अनुसार– "उपखण्ड स्तर समिति या ज़िला स्तर समिति दावे का विनिश्चय करने में नियम–13 में विनिर्दिष्ट साक्ष्य पर विचार

करेगी और दावे पर विचार करने के लिए किसी विशिष्ट दस्तावेज़ी साक्ष्य पर बल नहीं देगी, उपग्रह चित्र और प्रौद्योगिकी के अन्य उपयोग के साक्ष्य अन्य रूपों के अनुपूरक हो सकेंगे और उन्हें उनका विकल्प नहीं माना जाएगा।"

- राजस्थान वन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य क्राँतिक वन्य जीव आवास क्षेत्र, क्राँतिक व्याघ्र क्षेत्र में दावा मान्य करने में हठधर्म अपनाया जा रहा है। इस सन्दर्भ मं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश (दि.14.02.2000, 1एन.एल.ए. 548) का हवाला देकर एक ओर यह कहा गया– "उक्त आदेश की पालना में अभयारण्य क्षेत्र में चराई व अन्य अधिकार निषेध किए गए हैं"। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हवाला देकर कहा गया– "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के तहत अभयारण्य क्षेत्र में सामुदायिक दावों/हकपत्र नहीं दिए जाने हेतु आदेश प्रसारित किया गया है, इस कारण सामुदायिक अधिकार देना प्रतिबन्धित है"।
- वन विभाग की अनेक आपत्तियाँ ऐसी हैं जिनका वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में कोई उल्लेख नहीं है, जो कि वन अधिकार अधिनियम का सीधा–सीधा उल्लंघन हैं। राजस्थान वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा भी संरक्षित वन्य जीव क्षेत्रों में वन अधिकारों की मान्यता नहीं देने की बात कही गई है; एवं राजस्थान वन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार से इन सन्दर्भ में स्पष्टीकरण प्राप्त करने की बात बताई गई है। राज्य–स्तरीय निगरानी समिति की पहली बैठक (11.07.2011) से ही वन विभाग इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि विभाग ने केन्द्र सरकार से 'संशोधित' दिशा–निर्देश का आग्रह किया है तथा उसके बाद ही क्राँतिक वन्य जीव/व्याघ्र आवास सहित संरक्षित वन क्षेत्रों में वन अधिकारों की मान्यता पर निर्णय सम्भव हो सकेगा। विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से वन विभाग द्वारा इस तर्क के आधार पर सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार की मान्यता को विलम्बित किया जा रहा है।
- पूरे देश में कई राज्यों जैसे कि उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल इत्यादि में संरक्षित वन्य जीव क्षेत्रों (अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना इत्यादि) के साथ ही क्राँतिक व्याघ्र आवास क्षेत्रों, कोर–ज़ोन व बफर–ज़ोन में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता दी गई है, लेकिन राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा वन विभाग को हठधर्म अपनाने एवं जनजातीय आयुक्त से भी ऊपर उठकर 'निर्णायक' बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 4(2) एवं वन अधिकार अधिनियम के संशोधन नियम, 2012 के नियम 12ख(11) में वर्णित स्पष्टीकरण से यह साफ है कि वन अधिकार (सामुदायिक वन संसाधन अधिकार) के दावे आरक्षित वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों में मान्य होंगे।

र. शासन द्वारा सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार की मान्यता की प्रक्रिया को जान–बूझ कर विलम्बित करना

- ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि राजस्थान के जनजातीय आयुक्त एवं राज्य स्तरीय निगरानी समिति के द्वारा औचक या नियमित रूप से आंकड़ों का सत्यापन किया जाता हो। जनजातीय आयुक्त

कार्यालय में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन/समन्वयन हेतु नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी भी निचले स्तर पर निगरानी रखने में शिथिल नज़र आते हैं। राजस्थान में वन अधिकार अधिनियम लागू करने में यह प्रशासनिक शिथिलता राजस्थान सरकार की सहमति के बिना सम्भव नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 की अनुपालना करवाने एवं जनजातियों को उनके पारम्परिक वन संसाधनों पर संवैधानिक अधिकार प्रदान कराने के लिए राज्य सरकार एवं सम्बन्धित विभागों को निम्नलिखित बिन्दुओं के सन्दर्भ में निर्देशित करें :–

1. वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया में अधिनियम के प्रावधानों का शब्दशः पालन किया जाए। उपखण्ड, ज़िला एवं राज्य स्तरीय समितियों में वन विभाग की अनावश्यक आपत्तियों की बजाए ग्राम सभा तथा वन अधिकार समिति के सत्यापन को ही आधार माना जाए, जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत विहित है।

2. राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार {धारा 3(1)(i) एवं धारा 5} की दावा प्रक्रिया को प्रत्येक ग्राम सभा के स्तर पर आरम्भ करके पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के अन्तर्गत लम्बे समय से अटके दावों पर निर्धारित समय–सीमा में निर्णय किया जाए।

3. निरस्त अथवा संशोधित किए जाने वाले प्रत्येक दावे (व्यक्तिगत एवं सामुदायिक) की सूचना लिखित में दावेदार को उपलब्ध कराई जाए, जिसमें आपत्ति/आवश्यक संशोधन/कमी इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो।

4. राज्य वन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि क्राँतिक वन्य जीव/व्याघ्र आवास सहित संरक्षित वन क्षेत्रों में वन अधिकार मान्य हैं। यह तथ्य अन्य राज्यों में ऐसे क्षेत्रों के अन्तर्गत वन अधिकारों को मान्यता देने से स्वतः स्पष्ट है।

5. राज्य के जिन 17 ज़िलों में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की कोई सूचना जारी नहीं की गई है, उनकी स्थिति को वन अधिकार अधिनियम की राज्य स्तरीय मासिक प्रगति रिपोर्ट में नियमित रूप से शामिल किया जाए।

6. राज्य में वन अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए राज्य, ज़िला एवं उपखण्ड स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम सभा के स्तर पर औचक निरीक्षण करें। वे व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों की दावा एवं मान्यता की प्रक्रिया की वस्तुस्थिति जानें ताकि ज़मीनी स्तर की समस्याओं का, यथाआवश्यकता, राज्य स्तर तक से भी समाधान सम्भव हो।

7. राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि राजस्थान सरकार की वैबसाईट पर वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित अब तक की सारी सूचनाएँ जारी की जाएँ, जिनमें सभी 33 ज़िलों की मासिक प्रगति रिपोर्ट भी शामिल हों। भविष्य में भी इस सम्बन्ध में सभी सूचनाओं को नियमित रूप से वैबसाईट पर अपडेट किया जाए। यही प्रक्रिया ज़िला स्तर पर भी अपनायी जाए।

8. विद्यालयी एवं स्नातक स्तर की शिक्षा में अनिवार्य 'पर्यावरण अध्ययन' विषय में वन अधिकार अधिनियम एवं उसके नियमों की जानकारी शामिल की जाए।

9. वन एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों को भी वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए।

आशा है कि आप राजस्थान सरकार को उपर्युक्त सन्दर्भ में निर्देश देकर वन अधिकार अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। मन्त्रालय की ओर से राजस्थान मज़दूर किसान यूनियन को इस विषय की प्रगति पर सूचित कर अपडेट करने से हमें राज्य में वन अधिकारों की प्रक्रियाओं में सकारात्मक सहयोग देने में मदद मिलेगी।

धन्यवाद।

भवदीय,

P.K. Sinha

(प्रभात कुमार सिन्हा)

महासचिव, राजस्थान मज़दूर किसान यूनियन
9–सी, बापूनगर, सेंती रोड नं.6, चित्तौड़गढ़, राजस्थान.

प्रतिलिपि–

1. माननीय मुख्यमन्त्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. माननीय मन्त्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सम्भागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर।